F.No. NCBC/06/05/214/2020-RW

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

1. श्री जी. करूणानिधि, जनरल सेक्रेटरी, एआईओबीसी द्वारा प्राप्त शिकायत में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में अन्य पिछड़ा वर्ग के विधार्थियों को ऑल इंडिया कोटा में आरक्षण न दिए जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में दिनांक 23.07.2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ सुनवाई की गई थी जिसके कार्यवृत एवं आयोग कि अनुसंशाऐ दिनाँक 21.08.2020 को सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजी गयी।
2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा भेजी गई अनुसंशाओं पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी लेने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय ने पुनः दिनाँक 08.10.2020 को सुनवाई कर अनुसंशा की थी कि श्री बी० डी० अठानी समिति की रिपोर्ट आने के पश्चात् अतिशीघ्र ही न केवल तमिलनाडू राज्य अपितु सम्पूर्ण राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये एवं आने वाले शैक्षणिक सत्र से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण पूर्ण रूप से लागू किया जाए।
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा पुनः भेजी गई अनुसंशाओं पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाही का जायजा लेने हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय ने पुनः दिनाँक 07.01.2021 को सुनवाई करने का निर्णय लिया।
4. सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची अनुलग्नक 'क' के रूप में संलग्न है।
5. सुनवाई में आयोग के माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य एवं सचिव तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मध्य विचार विमर्श हुआ। आयोग को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उपस्थित हुए अधिकारियों ने यह अवगत करवाया कि श्री बी.डी.अठानी की अध्यक्षता में गठित की गई

Thalloju Achary

समिति ने दो विकल्पों के साथ अपनी अंतिम रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है एवं अतिशीघ्र ही मंत्रालय द्वारा यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

6. सुनवाई के पश्चात् आयोग ने अपेक्षा की है कि श्री बी० डी० अठानी समिति कि रिपोर्ट में सुझाए गये दो विकल्पों में से अतिशीघ्र ही उचित विकल्प पर विचार विमर्श कर अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये एवं आने वाले शैक्षणिक सत्र से अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण पूर्ण रूप से लागू किया जाये।

स्थान : नई दिल्ली।
दिनाँक :

(श्री आचारी थल्लोजू)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(डॉ. सुधा यादव)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

17/2/21
(डॉ. भगवान लाल साहनी)
माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

F.No. NCBC/06/05/214/2020-RW
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसंधान अनुभाग
सुनवाई के कार्यवृत

<u>अनुलग्नक 'क'</u>

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष
3. डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य
4. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
5. श्री आचारी थल्लोजू, माननीय सदस्य
6. डॉ. मधुमाला चट्टोपाध्याय, संयुक्त निदेशक
7. श्री दिनेश कुमार, माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव
8. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
9. कु. पारुल भारद्वाज, अनुसंधान अन्वेषक
10. श्री रमेश बाबू विश्वनाथुला, विधि सलाहकार

उपस्थित अधिकारी:

1. डॉ मनोहर अगनानी, अतिरिक्त सचिव
2. श्री राजन दास, डी. डी. जी. एम.
3. श्री बी० डी० अठानी, डी० जी० एच० एस०
4. श्री निपुन विनायक, संयुक्त सचिव
5. डॉ. बी० श्रीनिवास, ऐ० डी० जी०